न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/6818 /2006/जोधपुर

1– माणकराम पुत्र स्व0अमानाराम, जाति मेघवाल, निवासी लोहावट, शिवपुरी, तहसील फलौदी जिला जोधपुर।

–अपीलांट

बनाम

1– पुरखाराम पुत्र स्व0 पतुराम जाति मेघवाल, निवासी लोहावट शिवपुरी, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

–रेस्पोडेंट

खण्डपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थितः–

श्री अमृतपाल सिंह वानर, अधिवक्ता अपीलांट।

अधिवक्ता रेस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–31.10.2022

अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 64/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12–07–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है रेस्पो0/वादी ने एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 व 188 राज0काश्त0अधि0 का सहायक कलक्टर, फलोदी, जिला जोधपुर के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा शिवपुरी लोहावट, तहसील फलोदी के खेत खसरा नंबर 2473 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नंबर 2565 रकबा 6 बीघा दोनों को कुल रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा पर कब्जा काश्त वादी का चला आ रहा था जिसमें झौंपा भी बनाया गया था किंतु प्रतिवादी ने इस खेत खसरा नंबर 2565 रकबा 6 बीघा में अपना झौंपा बना लिया तथा परिवार सहित निवास करने लग गया। जिसको हटाने के लिए वादी ने समय—समय पर सहायक कलक्टर, फलोदी, तहसीलदार फलौदी, हल्का पटवारी इत्यादि के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए एवं कब्जा हटाने की कार्यवाही की। उपरोक्त कार्यवाही करने पर भी कब्जा नहीं हटाया जा सकने के फलस्वरूप वादी ने वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु प्रस्तुत किया। सहायक कलेक्टर, फलोदी ने वादी का वाद पत्र बहक वादी निर्णय डिक्री पारित कर प्रतिवादी को खसरा संख्या 2565 में से बेदखल किए जाने के आदेश पारित कर दिए। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2006 को निरस्त किया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2006 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3— हमनें अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी।

4— अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों ही न्यायालयों ने अपील का निर्णय तथ्यों एवं विधि को अनदेखा कर पारित किये गये है जो त्रुटिपूर्ण व विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रथम अपील में प्रस्तुत तथ्य न्यायालय द्वारा अनदेखे किए जाकर मनमाना निर्णय पारित किया गया है। प्रथम अपील अपीलांट द्वारा देरी से प्रस्तुत किए जाने का स्पष्ट कारण बताया गया था कि प्रतिवादी/अपीलांट पर वाद पत्र के सम्मन नोटिस की तामिल नहीं होने से उसे निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी थी। तदुपरांत वादी द्वारा प्रतिवादी पर इजराय की कार्यवाही किए जाने से वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना एवं निर्णित हो जाने का ज्ञान होने पर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी तथा अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। किंतु अपीलांट

द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने एवं अपील गुणावगुण पर सुनवाई किया जाकर स्वीकार करने के मजबूत आधार होने के उपरांत भी अधी0न्याया0 द्वारा अपील अस्वीकार कर दी गई, जबकि अपील स्वीकार किये जाने योग्य थी । विवादित खेत खसरा नंबर 2565 रकबा 6 बीघा पर अपीलांट का शुरू से कब्जा काश्त रहा है जबकि यह भू–भाग गलत तरमीम होने एवं पूर्वजों की जमीन का खातेदारी रिकार्ड में अलग–अलग दर्ज की। बंटवारा होने से यह भूमि गलती से वादी के नाम दर्ज हो जाने से वादी के पक्ष में वाद पत्र निर्णित किए जाने का कोई आधार नहीं बनता है जिससे वाद पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। विधि की यह धारणा है कि हर व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई निर्णय/आदेश पारित नहीं किया जा सकता किंतु वादी ने प्रतिवादी की भूमि हड़पने तथा बैर भाव से किसी व्यक्ति के झूठें दस्तखत कर वाद सम्मन की पुस्त पर अंकित करवा दिए तथा वाद पत्र निर्णित करवा दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2006 एवं सहायक कलक्टर, फलोदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.03. 2005 को निरस्त किया जावें।

5– हमनें योग्य अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।

6– पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि वादी/रेस्पो0 ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, फलोदी के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 183 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2473 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नंबर 2565 रकबा 6 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम शिवपुरी, तहसील फलौदी का खातेदार काश्तकार है । खसरा नंबर 2565 पर वादी का छपरा बना हुआ है जिसमें वह सपरिवार निवास करता है किन्तु प्रतिवादी ने उक्त खसरा नंबर पर बने छान एवं खसरा नंबर 2565 पर जबरन कब्जा कर लिया है । अतः वादी स्वीकार कर प्रतिवादी को विवादित आराजी से बेदखल किया जावे । परीक्षण न्यायायल ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2005 को वादी का वाद डिक्री किया । परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में पेश की जिसे अपीलीय न्यायालय ने मियाद एवं

गुणावगुण के आधार पर खारिज की है । अपीलांट का कथन है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है इस संबंध में परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट अंकित किया है कि प्रतिवादी को परीक्षण न्यायालय की व्यक्तिगत तामील हुई है जिसकी पुष्टि परीक्षण न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की पुस्त पर प्रतिवादी माणकराम के हस्ताक्षर से होती है । इसलिये अपीलांट/प्रतिवादी का यह कथन मान्य नहीं है कि उसे परीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 2565 रकबा 6 बीघा का खातेदार काश्तकार वादी/रेस्पो0 है । वादी के पड़ौसी काश्तकार जगमालाराम पुत्र नवलाराम पी0डब्ल्यू0 1 ने अपने बयानों जाहिर किया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रारंभ से ही पुरखाराम व उसके पिता काश्त करते रहे है । माणकराम ने एक–डेढ़ साल से कब्जा कर रखा है । परीक्षण न्यायालय ने राजस्व दस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वादी/रेस्पो0 का वाद विधिसम्मत् रूप से डिक्री किया है जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से पुष्टि की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप किया जाना हम द्वितीय अपील के स्तर पर उचित नहीं समझते है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए आई आर 1999 एस सी पेज 2213 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Second appeal- Relief cannot be granted merely on equitable grounds-Concurrent finding of facts however erroneous-Cannot be interfered with.

RRT 2001 page 883- Rajasthan Tenancy Act1955- Section 224 read with Section 100, Code of Civil Procedure 1908-Both the lower Courts has concurrently on facts held that the plaintiff is not tenant and he has not acquired title by sale deed- Therefore in this second appeal unless it is found that the findings recorded are illegal or purchase in nature, till then this court cannot disturb the concureent findings recorded by the Court below as held in AIR 1959 S.C.page 57-Hence this second appeal was dismissed.

7— उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारीज की जाती है तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.07.2006 यथावत रखा जाता है।

8— अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(गणेश कुमार) (रामदयाल मीणा)

सदस्य सदस्य